फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मावली, जिला–उदयपुर

प्रार्थी : श्री गमेरा | **विपक्षी : श्रीमती राधीबाई**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम | **पत्रावली संख्या : 138/18**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 16.12.2021

पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 कैम्प चंगेडी में पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। विपक्षी सं. 5, 6, 7 स्वयं उपस्थित होकर प्रकरण में उभय पक्ष को पाबंद किया जाने पर सहमति व्यक्त की। उभय पक्षकारान को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में दिनांक 05.08.2019 से मौका एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु स्थगन जारी हैं। विपक्षी सं. 5 से 7 स्वयं उपस्थित होकर उभय पक्ष को पाबंद किया जाने पर सहमति व्यक्त की हैं। प्रार्थी द्वारा बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। प्रकरण में पूर्व में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी है, जिसे मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाना उचित हैं ताकि प्रकरण में बंटवाडे से पूर्व किसी प्रकार से मौका एवं रेकार्ड के परिवर्तन से बचा जा सके। अतः उभय पक्ष आपस में सहमत होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का न्यायहित में आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार कर किया जाता है कि मौजा बीकाखेडा पटवार हल्का चंगेडी की आराजी नम्बर 366, 368, 382, 385, 597, 760/377, 761/377 किता 8 रकबा 12 बीघा 2 बिस्वा भूमि में उभय पक्षकारान मूल वाद निस्तारण होने तक मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय सुनाया गया।

(मयंक मनीष I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2022.01.05 15:43:13 IST
Reason: SelfAttested